16.5.24	पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने से पत्रावली दिनांक 6/6/24 को पेश हो।	
6/6/24	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। विपक्षीगण सं. 2, 3, 5 के सम्मन बाद तामील होकर प्राप्त हुए जिसे शामिल किये गये। वकील प्रार्थी विपक्षी सं. 1, 4, 5 के विरुद्ध कोई अनुतोष नहीं चाहते है विपक्षीगण को कितनी मर्तबा रूक-रूक कर आवाजे दिलायी जाने के बाद भी अनुपस्थित। इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है वकील प्रार्थी का प्रा-पत्र स्वीकार किया जाकर निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्र किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो उपखण्ड अधिकारी मांडल जिला भीलवाड़ा	विपक्षी सं. 1,4,5 पक्ष में कोई अनुतोष नहीं चाहते हैं

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.11 16:55:54 IST
Reason: SelfAttested

राजस्थान –सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी– मनोज, आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या – 86/23 प्रा.पत्र

1– श्री रामेश्वर S/o सोला गाडरी निवासी - गावलास का खेड़ा तहसील माण्डल

–प्रार्थी

बनाम

1– श्रीमती चांदी W/o नरसिंग गाडरी निवासी - गावलास का खेड़ा त० माण्डल [वगैरा] (प्रमाणित प्रा. पत्र संलग्न)

–विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांकः– 06.06.24

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया के ग्राम गावलास पटवार हल्का गावलास तहसील माण्डल में उसके खाते /संयुक्त खाते की आराजी न0 243 कुल किता 01 रकबा 0.5944 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते/संयुक्त खाते की भूमि की पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 05.06.23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जो काश्त काश्त की होने से पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते है। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्वान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।

::आदेश::

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111–128 रा.भू.रा.अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम गावलास पटवार हल्का गावलास तहसील माण्डल में उसके खाते/संयुक्त खाते की आराजी नं. 243 कुल किता 01 रकबा 0.5944 हेक्टेयर भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगढी किये जाने हेतु भू–अभिलेख निरीक्षक बागोर को 500 रुपये/– कमिश्नर फीस पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजुदगी में मौके व कब्जो की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावें। फसल खडी होने पर पत्थरगढी नहीं की जावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Manoj
Date: 2024.06.11 16:55:54 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा

प्रतिलिपिः– तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा फीस जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगढी की जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी
मांडल जिला भीलवाड़ा